

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103002712016

दांडिक प्रकरण क.-321 / 16

संस्थापित दिनांक-07.09.2016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।अभियोजन	
विरुद्ध	
01-जसरथ सिंह उर्फ दशरथ सिंह पुत्र पर्वत सिंह यादव उम्र 35 साल निवासी ग्राम मोहनपुर खुर्द थाना चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0।आरोपी	
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा	:- श्री योगेंद्र जैन अधिवक्ता।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 30.05.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 456, 294, 506 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपी का फरियादी से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपी को भादवि की धारा 294, 506 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 456 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी करतार सिंह ने दिनांक 06.07.2016 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को वह खाना खाकर अपने कमरे में सो रहा था, गर्मी लगने के कारण उसने दरवाजा खुला छोड़ दिया था। रात करीब आठ बजे उसका गांव का दशरथ पुत्र पर्वत सिंह यादव उसके घर में घुस गया और मटर की बोरी उठा रहा था। जब उसने बोरी उठाने की आहट सुनी तो वह जाग गया और दशरथ यादव को पकड़ लिया और वह चिल्लाया तो उसके गांव के मोहर सिंह यादव व काशीराम यादव आ गए थे जिन्होंने घटना देखी। जसरथ सिंह उससे छूटकर भाग गया और उसे मां-बहन की गालियां देने लगा और धमकी देने लगा कि अगर रिपोर्ट की तो मैं जान से मार दूंगा। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 317/16 के अंतर्गत भादवि की धारा 456, 294, 506 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 456, 294, 506 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 05.07.2016 को समय 20.00 बजे फरियादी का ग्राम, मोहनपुर खुर्द पर सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के पश्चात् फरियादी करतार सिंह के निवासगृह में प्रवेश कर रात्रि गृहभेदन गृह अतिचार कारित किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 करतार सिंह, अ.सा. 02 मोहर सिंह की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 करतार सिंह ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को उसका आरोपी से विवाद हो गया था जिस पर से उसने आरोपी के विरुद्ध प्रपी 01 की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी रात्रि में उसके घर में घुस आया था। इसी प्रकार अ.सा. 02 मोहर सिंह पक्षद्रोही हो गया है। उक्त साक्षी के अनुसार उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी ने भी इस बात से इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी रात्रि में फरियादी के घर में घुस गया था। अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षी के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि एक भी अभियोजन साक्षी ने अपने कथनों में यह नहीं बताया है कि घटना दिनांक को आरोपी फरियादी के घर में रात्रि में घुस गया था। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता कि घटना दिनांक को आरोपी ने फरियादी के घर में रात्रि में घुसकर रात्रि गृहभेदन गृह अतिचार कारित किया।

09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को

भादवि की धारा 456 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

11— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

12— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)